श्रम संहिताओं को चालू वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना नहीं

नई दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा)।

राज्यों द्वारा नियमों का मसौदा बनाने में देरी के चलते चार श्रम संहिताओं का चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन मुश्किल नजर आ रहा है। सूत्र ने कहा कि श्रम संहिताओं को लागू करने में देरी की एक और वजह राजनीतिक मसलन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है।

इन कानूनों का कार्यान्वयन इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि इनके लागू होते ही कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों को ऊंचे भविष्य निधि दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय चार संहिताओं के तहत नियमों के साथ तैयार है। लेकिन राज्य नई संहिताओं के तहत इन नियमों को अंतिम रूप देने में सुस्त हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी राजनीतिक कारणों से इन संहिताओं को अभी लागू नहीं करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सरकार अभी इन संहिताओं को लागू नहीं करना चाहती है। संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है। लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही इन्हें संबंधित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। सूत्र ने स्पष्ट किया कि इन संहिताओं को चालू वित्त वर्ष में लागू करना संभव नहीं है। एक बार ये संहिताएं लागू होने के बाद मूल वेतन और भविष्य निधि (पीएफ) की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा। श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता को एक अप्रैल, 2021 से लागू करना था। इन चार संहिताओं से 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत किया जा सकेगा। मंत्रालय ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन कई राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं हैं ऐसे में इनका कार्यान्वयन अभी संभव नहीं है।

सूत्र ने बताया कि कुछ राज्यों ने चार श्रम संहिताओं के नियमों के मसौदे पर काम किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओड़ीशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड हैं। नई वेतन संहिता के तहत भत्तों की सीमा 50 फीसद होगी। इसका मतलब है कि कुल वेतन का आधा कर्मचारियों का मूल वेतन होगा। भविष्य निधि योगदान की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के हिसाब से की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है।

● सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय चार संहिताओं के तहत नियमों के साथ तैयार है। लेकिन राज्य नई संहिताओं के तहत इन नियमों को अंतिम रूप देने में सुस्त हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सरकार अभी इन संहिताओं को लागू नहीं करना चाहती है।

अब साझा सेवा केंद्रों में राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी मुहैया होंगी

नई दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा)।

देशभर में 3.7 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, ब्योरे का अद्यतन करना और उसे आधार से जोड़ना शामिल है। इस कदम से देशभर के 23.64 करोड़ राशन कार्डधारकों को लाभ होगा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्रालय की अधीनस्थ विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के साथ करार किया है। इस करार का मकसद अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति को सुसंगत करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना है।

देश में 3.7 लाख सीएससी के जरिए राशन कार्ड सेवाओं के लिए खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग और सीएससी ने सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

'हर महीने केंद्र को 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का पथकर राजस्व देगा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे'

नई दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परिचालन में आने के बाद केंद्र को हर महीने 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का पथकर (टोल) राजस्व देगा। इस एक्सप्रेसवे के 2023 में परिचालन में आने की उम्मीद है।

गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को 'सोने की खान' करार दिया। गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा के लिए हाल में लंबी यात्रा पूरी की है। उन्होंने रविवार को यहां कहा कि अगले पांच साल में एनएचएआइ की सालाना टोल आय बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। अभी यह 40,000 करोड़ रुपए के स्तर पर है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा चार राज्यों से होकर गुजरेगा। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचा विश्वस्तरीय सफलता की कहानी है।

छोटी कारों में भी पर्याप्त एअरबैग जरूरी : गडकरी

नई दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि छोटी कारों में भी सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में एअरबैग होने चाहिए। आमतौर पर छोटी कारों की खरीद कम आय वर्ग वाले मध्यवर्गीय लोगों द्वारा की जाती है। गडकरी ने सवाल किया कि वाहन कंपनियां सिर्फ अमीर लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली बड़ी कारों में ही आठ एअरबैग क्यों उपलब्ध कराती हैं। गडकरी ने साक्षात्कार में कहा कि छोटी सस्ती कारों में अधिक एअरबैग की अपील वह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जबकि वाहन उद्योग ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि ऊंचे कराधान और सख्त सुरक्षा व उत्सर्जन नियमों की वजह से उनके उत्पाद महंगे हो गए हैं।

खोया+पाया

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 17 नग फार्म 38 जिसका क्रमांक निम्नलिखित है। 3481132, 3482112, 3482114, 3482121, 3481113, 3481135, 3481138 से 3481140, 3482125 से 3482128, 3483809, 3483811, 0035364 तथा 0035366, एटीसी इंडिया टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गुम हो गया है। यदि मिले तो कृपया एटीसी इंडिया, सम्मिट बिल्डिंग 6ठा तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचित करें।

साई पॉवरवेयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
CIN: U74899DL1980PTC010905
पंजीकृत कार्यालयः 1-ई/2 झंडेवाला एक्सटेंशन लिंक रोड, नई दिल्ली
फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप नियम 5 के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।
तथा
साई पॉवरवेयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 11-ई/2 झंडेवाला एक्सटेंशन लिंक रोड, नई दिल्ली में है, के विषय में .....याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 16 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ एसोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।

हिते एवं कृते आवेदक
साई पॉवरवेयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
स्थानः मेरठ हस्ता./- गिरीश कुमार
दिनांकः 20.09.2021 निदेशक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
अंचल दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रयागराज 19-ए, द्वारिका भवन, प्रथम तल, टैगोर टाउन, प्रयागराज
ई- नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए सूचना
"परिशिष्ट"- IV-ए [नियम 6 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान को देखें]
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (2), 8 (6) एवं 9 के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतत्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रुप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है, को बैंक के निम्नलिखित खाते के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/जमानतकर्ता/प्रतिभूति आस्ति/देय/ आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (इएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है-

ई- नीलामी की तिथि एवं समय : 22.10.2021, 02:00 PM से 6:00 PM

धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन एनईएफटी/ट्रांस्फर (चलान निष्पादन के बाद) (https://www.mstcecommerce.com) के द्वारा बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में किया जाएगा। निर्धारित ई-नीलामी तिथि के पूर्व ग्लोबल वॉलेट में ईएमडी के तुल्य पर्याप्त धनराशि अवश्य होनी चाहिए।

क्रं0 सं0	ऋणियों/ जमानतकर्ताओं का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	आरक्षित धनराशि / अग्रिम धनराशि / बिड बढ़ोत्तरी राशि
1.	**ऋणीः-** मेसर्स सुषमा एजेन्सी एवं इसके पार्टनर श्रीमती सुषमा गुप्ता एंव श्रीमती सोनी गुप्ता **पंजीकृत कार्यालय :** 2/4/2सी, फाफामऊ बाईपास, इलाहाबाद-211013 **गोडाउन का पता :** ए आर एम राइस मिल, ग्राम भगौतीपुर उर्फ खूटहना, ब्लाक होलागढ़ आर बी एस कोल्ड स्टोरेज के सामने, तहसील सोरांव, जिला-इलाहाबाद 212502 ब्रांच आफिस का पता- शॉप नं0 जी 3, प्रभु ब्रम्ह अपार्टमेन्ट, नेल्को सोसाइटी त्रिमूर्ति नगर, नागपुर 440022 **पार्टनर 1.** श्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी पवन कुमार गुप्ता **पंजीकृत कार्यालय :** 2/4/2सी, फाफामऊ बाईपास, इलाहाबाद-211013 **2.** श्रीमती सोनी गुप्ता पत्नी गोपेश कुमार गुप्ता **पंजीकृत कार्यालय :** 2/4/2सी, फाफामऊ बाईपास, इलाहाबाद-211013 **जमानतकर्ता : 1.** श्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी पवन कुमार गुप्ता **पंजीकृत कार्यालय :** 2/4/2सी, फाफामऊ बाईपास, इलाहाबाद- 211013 **2.** श्रीमती सोनी गुप्ता पत्नी गोपेश कुमार गुप्ता **पंजीकृत कार्यालय :** 2/4/2सी, फाफामऊ बाईपास, इलाहाबाद-211013 **3.** श्री महेन्द्र केसरवानी पुत्र श्री बद्री प्रसाद केसरवानी पता- 14, पुरानी गली, फाफामऊ, इलाहाबाद 211013 **4.** श्री गोपेश गुप्ता पुत्र पवन गुप्ता निवासी 534, चक रघुनाथ नैनी, इलाहाबाद-211008 **5.** श्री पवन कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 सुन्दर लाल गुप्ता निवासी 534ए, चक रघुनाथ नैनी, इलाहाबाद 211008 **बकाया धनराशि- ₹8,20,96,233.66** + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी (-) दिनांक 01.10.2019 के बाद जमा की गयी धनराशि, यदि कोई हो।	सभी सम्पत्ति एवं उसका भाग आराजी सं0 329/1, ग्राम खुशरवाह, पी.एच. कटिरा 46, तहसील जलसिंह नगर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। **पैमाइशी क्षेत्रफल :** 2.023 हेक्टेयर, **चौहद्दी : उत्तर-** गोपलका की भूमि, **दक्षिण-** मल्लेश प्रताप सिंह की भूमि, **पूरब-** सड़क, **पश्चिम-** रामधनी कोल एवं गोपलका की भूमि **कब्जे की स्थिति सम्पत्ति - सांकेतिक/भौतिक**	20.09.2021 से 21.10.2021 तक अपराह्न 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक।	₹ 2,64,56,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹ 26,45,600/- (अग्रिम धनराशि) ₹ 1,00,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)

नोटः सरफेसी अधिनियम के नियम 6 (2) एवं 8 (6) के तहत 30 दिनों की वैधानिक सूचना।
बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाईट का अवलोकन करें:- www.Bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in. इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0- 9554951670,7984127855 से सम्पर्क करें।

दिनांक : 18.09.2021 स्थानः प्रयागराज प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड
(पूर्व में उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड)

वार्षिक आम बैठक के लिए ई-वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता हैं कि उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के सदस्यों की इक्कतीसवीं (31वीं) वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) का आयोजन गुरूवार, 30 सितम्बर 2021 को दोपहर 03:00 बजे से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से, (वीडियो कांफ्रेंस माइक्रो सॉफ्ट टीम्स मीटिंग आई.डी. 195995482@teams.bjn.vc और 137 001 484 2 (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं.20/2020 F.NO.2/4/2020-CL-V दिनांक मई 05, 2020) के अनुसार पंजीकृत कार्यालय- एस -24/1-2, चौथा तल, महावीर नगर, अर्दली बाज़ार, महावीर मंदिर के निकट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002 से एवं में संचालित किया जाएगा, जिसमें ई-वोटिंग की सूचना में वर्णित विशेष व्यवसाय का विचार-विमर्श किया जाएगा। कम्पनी ने बुधवार, 08 सितम्बर 2021 तक स्वीकृत पद्धति में सदस्यों के लिए ए.जी.एम. की सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों केसाथ पठित समय-समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 केनियम 20 तथा साधारण आम बैठकों पर सचिवालयी मानकों के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना में सूचीबद्ध विषयों पर अपना मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने एन.एस.डी.एल. **("ई-वोटिंग सेवा प्रदाता")** की सेवाँए लीं है। सभा में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया हो, वह सभा में मत पत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो, वह सभी सदस्य भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं।

ई-वोटिंग की अवधि 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगी तथा 29 सितम्बर, 2021 को सायंकाल 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में 03 सितम्बर, 2021 के कट-ऑफ की तारीख (मतदान के अधिकार प्राप्त करने के लिए) तक शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) सूचना में निर्दिष्ट तरीके एवं प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। यदि कोई सदस्य जो कट-ऑफ तारीख के अनुसार कम्पनी का सदस्य नही हैं, वह इस सूचना को केवल जानकारी के लिए देखें। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट ऑफ़ तिथि (मताधिकारों की गणना के लिए) जो 03 सितम्बर, 2021 हैं, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी / सामान्य शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालन करने के लिए श्री सुमित सिंह, कम्पनी सचिव इन प्रैक्टिस मेम्बरशिप नंबर 50243, को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण के लिए सदस्यगण, ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के टोल फ्री नंबर **1800-222-990** पर कॉल कर सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.utkarshcoreinvest.com पर उपलब्ध है।

उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के लिए
- हस्ताक्षरित -
नीरज कुमार तिवारी
कम्पनी सचिव

स्थान: वाराणसी
तिथि: सितम्बर 20, 2021

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: एस-24/1-2, चौथा तल, महावीर नगर, अर्दली बाज़ार, महावीर मंदिर के निकट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221002
ई.मेल आई. डी.: secretarial@utkarshcoreinvest.com; संपर्क: +91 9598069737

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक
pnb (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्कल सस्त्र ऑफिस : बुलंदशहर
पताः यमूनापुरम, बुलंदशहर, यू.पी.-203001
ईमेल 05732-281724, e-mail: cobsrsamd@pnb.co.in; CS8212@pnb.co.in

ई-ऑक्शन सेल जन सामान्य सार्वजनिक नियम 8 और 9 सुरक्षा प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के जनमत संग्रह के लिए नोटिस जारी

ई-ऑक्शन सेल नोटिस सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए, सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) में अनंतिम रूप से पढ़ा गया। सामान्य रूप से और विशेष रूप से बॉरोअर (ओं) और गारंटर (ओं) के लिए जनता के लिए कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति को गिरवी रखा गया है / सुरक्षित लेनदार को चार्ज किया गया है, जिसके निर्माण/ भौतिक /प्रतीकात्मक कब्जे को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। बैंक सुरक्षित लेनदार, "जैसा है वैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" उस पर बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि के अनुसार, बैंक द्वारा देय देय राशि की वसूली के लिए। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) से सुरक्षित लेनदार। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा के रूप में संबंधित संपत्तियों के खिलाफ नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया जाएगा

सुरक्षित प्रोपर्टी की विवरण

	शाखा का नाम / खाता का नाम और / उधारकर्ता के नाम व पते/ गारंटरों के खाता	अचल सम्पतियों का विवरण / बंधक/स्वामी के नाम (सम्पतियों के बंधककर्ता)	A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / B) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / D)कब्जा की तिथि सांकेतिक/भौतिक/प्रलक्षित	(अ) आरक्षित मूल्य (रू. लाख में) / (ब) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की तिथि / (स) बोली वृद्धी राशि	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	पीएनबी- दशहरा, बुलंदशहर मेसर्स खुर्जा केबल टीवी नेटवर्क प्रो. शिव कुमार गुप्ता 588, पंजाब 5, सुभाष रोड, खुर्जा जिला बुलंदशहर 203131		A) 04.03.2020 B) रू. 1162102.97 आगे ब्याज और लागत के साथ 01.07.2019 C) 04.12.2020 D) सांकेतिक	A) रू. 9,12,000/- B) रू. 91,200/- C) रू. 10,000/-	07.10.2021 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
2.	पीएनबी – भूर, बुलंदशहर श्री राकेश कुमार एच नंबर 145ध्9, विजय नगर, देवीपुरा ॥ बुलंदशहर 203001	आवासिय प्रोपर्टी का सभी पार्ट और पार्सल हाउस नं. 145/9 विजय नगर, देवीपुरा ।। बुलंदशहर में दिनांक 27.05.2014 को पंजीकृत एसआर कार्यालय बुलंदशहर के साथ पुस्तक 1 खंड 3850 में पृष्ठ 183 से 212 पर क्रम संख्या। 3629. के रूप दर्ज है। परिमाप क्षेत्र 125.49 वर्ग । चौहद्दी उत्तरः रास्ता 12 फीट दक्षिणः रास्ता 10 फीट पूर्वः हाउस हुकुम सिंह पश्चिमः हाउस कृष्णा देवी के स्वामित्व में श्री राकेश कुमार	A) 22.10.2020 B) रू. 1205603.00 प्लस ब्याज और लागत के साथ 01.12.2018 C) 11.02.2021 D) सांकेतिक	A) रू. 23,45,000/- B) रू. 2,34,500/- C) रू. 10,000/-	07.10.2021 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
3.	पीएनबी- खुर्जा ग्रामीण मेसर्स जय अम्बे इन्वर्टर एंड बैटरीज गली नंबर 3, सिटी स्टेशन रोड खुर्जा जिला बुलंदशहर 203001	खुर्जा मोह में 350.89 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला घर स्थित है नया नगर सिटी स्टेशन नवलपुरा, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उ.प्र. में बही नंबर 1, जिल्ड नंबर 1526, पेज नं. 267/268 एसआर खुर्जा के कार्यालय में पंजीकृत क्रमांक सं. 4792 दिनांक 07.09.2017 को श्री बिजेंद्र पाल सिंह और राज दुलारी के नाम पर दर्ज है।	A) 31.10.2018 B) रू. 2008531.00 ब्याज और लागत के साथ 01.10.2018 C) 21.02.2019 D) (सांकेतिक)	A. रू. 25,00,000/- B. रू. 2,50,000/- C. रू. 10,000/-	07.10.2021 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
4.	पीएनबी- खुर्जा मेन श्रीमती फरजाना पत्नी कमरुद्दीन आवास नं. 73, मुगलपुरा खुर्जा 203131 जिला बुलंदशहर	आवासिय प्रोपर्टी का सभी पार्ट और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 153.08 वर्गमीटर है, जो कि श्रीमती फरजाना प्तनी श्री कमरुद्दीन, के नाम पर पंजीकृत बिक्री विलेख एसआर ऑफिस, खुर्जा में पंजीकृत बही नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 3794 पर पेज नंबर 19-38 पर दस्तावेज संख्या 2238 पर दिनांक 17.09.2008 को पंजीकृत किया गया है । चौहद्दी पूर्वः हाउस कमरुद्दीन और गली 7 फीट 4 इंच चौड़ा पश्चिमः गली मुश्तरका 5 फीट 1 इंच चौड़ा और हाउस मो. हुसैनी उत्तरः मस्जिद दौलत खान दक्षिणः हाउस मो. श्रीमती के स्वामित्व में इस्लाम और अशोक कुमार, फरजाना पत्नी श्री कमरुद्दीन	A) 31.12.2020 B) रू. 1364290.00 प्लस ब्याज और लागत के साथ 01.12.2020 C) 09.03.2021 D) सांकेतिक	A) रू.. 14,30,000/- B) रू. 1,43,000/- C) रू. 10,000/-	07.10.2021 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
5.	पीएनबी – खुर्जा मेसर्स डॉल्फिन ट्रेडर्स मुंडा खेरा क्रॉसिंग जीटी रोड, खुर्जा 203131 जिला बुलंदशहर	फैक्टरी भूमि और भवन श्रीमती खतीजा बेगम पत्नी मो. तकी, के नाम पर पंजीकृत बिक्री विलेख मेसर्स ईगल ग्लास सिरेमिक उद्योग, भूमि संख्या 2772, कुल क्षेत्रफल 2909.10 वर्गमीटर यानि 3479.28 वर्ग गज चौहद्दीः पूर्वः मेसर्स रामानुज पॉटरी पश्चिम पैसेज रोड मोबाइल टॉवर, रोड, उत्तरः नाला रोड दक्षिणः मेसर्स न्यू लाइट पॉटरी	A) 11.09.2019 B) रू. 2052456.43 प्लस ब्याज और लागत के साथ 01.01.2019 C) 13.01.2021 D) (सांकेतिक कब्जा)	A. रू. 1,48,00,000/- B. रू. 14,80,000/- C. रू. 20,000/-	07.10.2021 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
6.	पीएनबी – स्याना, बुलंदशहर मेसर्स नवीन आयरन स्टोर के प्रोप. नवीन कुमार एच.सं. 162, पट्टी डाहर सियाना जिला बुलंदशहर 245412	बुलंदशहर गढ़ रोड पर स्थित है द्वितीय तल वाणिज्यिक निर्माण (दुकान संख्या 299 और 300 का हिस्सा) क्षेत्रफल 45.35 वर्ग मीटर, यथार्थ अस्पताल के पास, चांदपुर चुंगी, शहर स्याना, परगना और तहसील सियाना जिला बुलंदशहर चौहद्दीः पूवरूः श्री सतीश चंद की दुकान पश्चिमः श्री मुकेश कुमार दुकान उत्तरः गली नंबर 12.00 फीट चौड़ा, दक्षिणः बुलंदशहर गढ़ रोड श्री नवीन कुमार के स्वामित्व में	A) 15.09.2020 B) रू. 4101192.23 प्लस ब्याज और लागत के साथ 01.06.2019 C) 04.12.2020 D) सांकेतिक कब्जा	A) रू. 18,85,000/- B) रू. 1,88,500/- C) रू. 10,000/-	07.10.2021 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
7.	पीएनबी – स्याना, बुलंदशहर मेसर्स नवीन आयरन स्टोर के प्रस्तोता नवीन कुमार एच.सं. 162, पट्टी डाहर सियाना जिला बुलंदशहर 245412	आवासीय भवन के ईएम वार्ड नं. 22 मोहल्ला पट्टी हरनाम सिंह स्याना आनंदपुरी कॉलोनी बुलंदशहर में स्थित है। पूर्वः लक्ष्मण का भूखंड पश्चिमः प्लॉट सुभाष उत्तरः रास्ता 12 फीट दक्षिणः श्री नवीन कुमार के स्वामित्व में	A) 15.09.2020 B) रू. 4101192.23 प्लस ब्याज और लागत के साथ 01.06.2019 C) 04.12.2020 D) सांकेतिक कब्जा	A) रू. 29,00,000/- B) रू. 2,90,000/- C) रू. 10,000/-	07.10.2021 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
1. संपत्तियां जैसा है जहां है के आधार पर और "जैसा है जो है आधार पर" और "जो कुछ भी है के आधार पर बेचा जा रहा है"
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित आस्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 07.10.2021 को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com https://eprocure.gov.in/epublish/app** देखें।

तिथिः 18.09.2021
स्थानः बुलंदशहर

अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार
पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस, बुलंदशहर

www.readwhere.com